<u>न्यायालयः— अविनाश छारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पोहरी, जिला शिवपुरी (म.प्र.)</u>

MP33090009742022

<u>फाईलिंग नम्बर—आर0सी0टी 950/2022</u>
CNR NO.MP33090009742022
<u>विविध आपराधिक प्रकरण क.178/22</u>
<u>प्रस्तुत दिनांक— 01.11.2022</u>

1. श्रीमती ममता पत्नी छोटू पुत्र बच्चू जाटव, उम्र—37 साल,
2. नीरज पुत्र छोटू जाति जाटव, उम्र—17 साल,
3. काजल पुत्री छोटू जाति जाटव, उम्र—12 साल,
4. कारू पुत्र छोटू जाति जाटव, उम्र—10 साल,

सरपरस्त माँ श्रीमती ममता जाटव पत्नी छोटू जाटव,
धंधा कुछ नहीं, निवासीगण ग्राम पिपरघार, हाल निवासीगण
बरोद रोड़, वार्ड क्रमांक—13, डॉ. रमेश कखेरा के मकान के पास,
नगर परिषद बैराड़, थाना बैराड़, जिला शिवपुरी म0प्र0।

...................आवेदकगण

<u>//बनाम//</u>

श्री छोटू पुत्र रामस्वरूप जाटव, उम्र—40 साल, धंधा खेती एवं ठेकेदारी,
निवासी ग्राम पिपरघार हाल निवासी अंसारी कॉलोनी पोहरी,
थाना पोहरी, जिला शिवपुरी म0प्र0।

....................अनावेदक

आवेदकगण द्वाराः— श्री एस0यू0 सिद्दिकी अधिवक्ता।
अनावेदकः— पूर्व से एकपक्षीय।

<u>// आदेश //</u>
<u>(आज दिनांक 31.08.2023 को घोषित)</u>

01— प्रस्तुत आदेश के माध्यम से आवेदिका श्रीमती ममता जाटव की ओर से पेश किये गये आवेदन, अंतर्गत धारा—125 द0प्र0सं0, दिनांक 01.11.2022 पर आदेश पारित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आवेदकगण ने अपने लिए 20,000/—बीस हजार रुपये भरण—पोषण अनावेदक से दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

02— आवेदकगण की ओर से पेश किया गया आवेदन पत्र अंतर्गत धारा—125 द0प्र0सं0 का सारतः यह है कि आवेदिका की शादी हिन्दू रीति—रिवाज अनुसार वर्ष—2004 में अनावेदक के साथ बैराड़ से सम्पन्न हुयी थी। आवेदिका की शादी में उसके माता—पिता ने अपनी हैसियत अनुसार दान—दहेज दिया था। शादी के चार—पांच साल बाद तक अनावेदक एवं उसके परिवार वालों ने आवेदिका को अच्छे से रखा, परन्तु इसके बाद अनावेदक एवं उसके परिवार वाले आवेदिका के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रखते थे। आवेदिका को अनावेदक के संसर्ग से तीन संतान उत्पन्न हुयी थी। अनावेदक एवं उसके परिवार वाले आवेदिका से कहने लगे कि तुम्हारे घर वालों ने कम दहेज दिया है, पचास हजार रुपये एवं एक मोटरसाईकिल की मांग करने लगे थे। आवेदिका ने अनावेदक एवं उसके परिवार वालों को काफी समझाने की कोशिश की, परन्तु वो नहीं माने और आवेदिका को प्रताड़ित करने लगे एवं भूखा रखने लगे थे तथा कमरे में बंद कर देते थे, कहीं उठने—बैठने नहीं देते थे। आवेदिका पर अनावेदक एवं उसकी सास, ससुर, देवर, ननद आये दिन परेशान करते थे। अनावेदक एवं उसके परिवार वालों ने लगभग तीन वर्ष पूर्व जेठ के माह में आवेदिका से पुनः एक मोटरसाईकिल एवं पचास हजार रुपये की मांग करने लगे थे एवं उसका सम्पूर्ण जेवर छुड़ाकर केबल बदन पर पहने हुए कपड़ों में उसके नाबालिग बच्चों सहित घर से निकाल दिया था, तब आवेदिका अपने मायके ग्राम बैराड़ आ गयी थी और अपने बच्चों सहित निवास कर रही है। अनावेदक ने जब से उसे घर से निकाला है, तब से कोई सुध नहीं ली है। आवेदिका बैराड़ में किराये के मकान में रहती है, वह आये दिन बीमार रहती है और उसके पास आय का कोई साधन नहीं है। अनावेदक के पास उसके पिता द्वारा बंटवारे में दी गयी 4 बीघा सिंचित जमीन है, जिस पर वह कृषि करके लगभग 1,00,000/—रुपये प्रतिवर्ष आय अर्जित करता है। अनावेदक कुशल कारीगर एवं ठेकेदार भी है, जिससे उसे 50,000/—रुपये प्रतिमाह आय प्राप्त होती है। अतः आवेदिका की ओर से अनावेदक को साधन—सम्पन्न व्यक्ति बताते हुए स्वयं एवं अपने नाबालिग बच्चों के भरण—पोषण हेतु 20,000/—रुपये प्रतिमाह दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

03— प्रकरण में अनावेदक एकपक्षीय होने से आवेदिका की ओर से पेश किये गये आवेदन का कोई जवाब पेश नहीं किया गया है।

04— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय विन्दु हैः—

1. क्या अनावेदक ने आवेदकगण के भरण–पोषण से इंकार या उपेक्षा की है?

2 क्या आवेदिका पर्याप्त कारणवश अनावेदक से अलग निवास कर रही है?

3. क्या आवेदकगण अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ हैं?

4. क्या अनावेदक पर्याप्त साधन सम्पन्न व्यक्ति है?

5. क्या आवेदकगण, अनावेदक से भरण–पोषण राशि प्राप्त करने की अधिकारणीय हैं? यदि हॉ तो कितनी राशि व कब से?

–: सकारण निष्कर्ष एवं उनके आधार :–

विचारणीय विन्दु क. 1,2 व 3:–

05– आवेदिका श्रीमती ममता जाटव ने अपने एकपक्षीय साक्ष्य में अनावेदक से पृथक रहने का कारण अनावेदक एवं उसके परिवार वालों द्वारा एक मोटरसाईकिल एवं पचास हजार रुपये दहेज की मांग को लेकर उसके स्त्रीधन को अपने पास रखकर, पहने हुए कपड़ों में नाबालिग बच्चों सहित घर से भगा दिया जाना बताया है। प्रकरण में अनावेदक एकपक्षीय रहा है। आवेदिका द्वारा अपने न्यायालयीन कथनों में एवं प्रकरण के साथ संलग्न शपथ पत्र के आधार पर आवेदन में वर्णित अभिवचनों की पुष्टि की है एवं आवेदिका के कथन अखंडनीय रहे हैं। उक्त स्थिति में आवेदिका का यह कथन कि अनावेदक द्वारा उससे दहेज की मांग कर, उसे प्रताड़ित किया जाता था एवं मारपीट की जाती थी, स्वतः प्रमाणित पाया जाता है। दहेज की मांग करना एवं मारपीट करना, अलग रहने के पर्याप्त कारण को दर्शित करता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत सिराज मोहम्मद खांन बनाम हाफिजून निशा, यासिन खांन 1981 सी0आर0एल0जे0 1430 (एस0सी0) अवलोकनीय है। उक्त विंदु पर माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत रामदयाल वैश्य बनाम अनीता कुमारी 2004 सी0आर0एल0जे0 3669 (एम0पी0) भी अवलोकनीय है। प्रकरण में उपरोक्त अवलोकन एवं न्यायदृष्टांतों के आधार पर यह स्पष्टरूप से कहा जा सकता है कि आवेदिका के पास अनावेदक से पृथक निवास करने का पर्याप्त कारण था।

06– प्रकरण में अब अवलोकनीय यह है कि क्या आवेदकगण स्वयं का

भरण–पोषण करने में असमर्थ हैं। उक्त संदर्भ में हस्तगत प्रकरण में आवेदिका द्वारा अपने न्यायालयीन कथनों में एवं अभिवचनों में स्वयं के भरण–पोषण करने में असक्षम एवं असमर्थ होना व्यक्त किया है, जो कि अनावेदक के एकपक्षीय होने के कारण अखंड़नीय रहे हैं। ''भरण–पोषण करने में असमर्थ होने'' के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत चतुर्भुज बनाम सीता बाई 2008 सी0आर0एल0जे0 727 (एस0सी0) अवलोकनीय है। उक्त विन्दु पर माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय रेवती बाई बनाम जागेश्वर 1991 सी0आर0एल0जे0 40 (एम0पी0) अवलोकनीय है, जहां यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि पत्नी को भरण–पोषण के लिए श्रमिक होकर कार्य करना पड़ रहा है तो उक्त स्थिति में भी वह भरण–पोषण प्राप्त करने की अधिकारणीय होगी। हस्तगत प्रकरण में आवेदिका के स्वयं के भरण–पोषण में असक्षम रहने के कथन अखंडनीय रहे हैं। उक्त स्थिति में यह प्रमाणित पाया जाता है कि आवेदकगण अपना भरण–पोषण करने में असक्षम हैं।

07– प्रकरण में अब अवलोकनीय यह है कि क्या अनावेदक द्वारा भरण–पोषण से इंकार किया जा रहा है। प्रकरण में आवेदिका द्वारा उक्त संबंध में अपने न्यायालयीन कथनों में अनावेदक द्वारा उसे घर से निकाल दिये जाने का कथन किया है एवं व्यक्त किया है कि अनावेदक एवं उसके परिवार वालों द्वारा उससे मोटरसाईकिल एवं पचास हजार रुपये की दहेज की मांग करने एवं मायके से न लाने पर उससे सम्पूर्ण जेवर छुड़ाकर घर से बच्चों सहित निकाल दिये जाने का साक्ष्य दिया है। प्रत्येक पुरूष का यह कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी एवं नाबालिक बच्चों का भरण–पोषण करे, उक्त दायित्व से वह बच नहीं सकता। उक्त संबंध में माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत शीला बाई बनाम अशोक कुमार आई0एल0आर0 2014 एम.पी. 832 अवलोकनीय है। इस आधार पर भी भरण–पोषण के लिए मना नहीं कर सकता कि उसके पास आय के पर्याप्त साधान नहीं है, इस संबंध में माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत हेमंत चक्रधर बनाम विनीता चक्रधर (क्रिमिनल रिवीजन न. 609/15, आदेश दिनांक 11.01.2018) अवलोकनीय है। उपरोक्त न्यायदृष्टांत एवं अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित पाया जाता है कि अनावेदक द्वारा आवेदिका के भरण–पोषण में उपेक्षा एवं इंकार किया जा रहा था। उपरोक्त अवलोकन एवं अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विचारणीय विन्दु क्रमांक–1,2,3 प्रमाणित पाये जाते हैं।

विचारणीय विन्दु क. 4 व 5:–

08– उपरोक्त संदर्भ में आवेदिका द्वारा अनावेदक के साधन सम्पन्न व्यक्ति होने के संबंध में चार–पांच बीघा सिंचित जमीन होना बताते हुए उसे प्रतिवर्ष 1,00,000/–रुपये प्राप्त होना बताया है। आवेदिका ने अनावेदक के मकान बनाने का काम करने एवं ठेकेदारी करने तथा उक्त कार्य से अनावेदक द्वारा प्रतिमाह 50 हजार रुपये कमा लेने का साक्ष्य दिया है। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदिका द्वारा अनावेदक के पास चार–पांच बीघा सिंचित जमीन होने एवं ठेकेदारी का काम करने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या प्रमाण पेश नहीं किया है। उक्त स्थिति में यह मान लेना कि अनावेदक को खेती से 1,00,000/–रुपये प्रतिवर्ष एवं ठेकेदारी से 50,000/–रुपये प्रतिमाह आय प्राप्त करना, उचित प्रतीत नहीं होता है।

09– म0प्र0 शासन श्रम आयुक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक–6/11/अन्वु/5/2015/40488–737, दिनांक 29.09.2022 के अनुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत राज्य में श्रमिकों के लिए दिनांक 01.10.2022 से न्यूनतम वेतन की दरें दर्शाई गयी हैं, दैनिक वेतन भोगी में अकुशल श्रमिक को 6,500/–रुपये एवं अर्धकुशल श्रमिक को 7,057/–रुपये, कुशल श्रमिक 8,435/–रुपये एवं उच्च कुशल श्रमिक को 9,735/–रुपये न्यूनतम वेतन प्रतिमाह अदा किया जाना चाहिए। प्रकरण में आवेदिका द्वारा अनावेदक के मकान बनाने का काम करने का कथन किया है, उक्त स्थिति में यदि कारीगर को कुशल या अर्धकुशल श्रमिक माना जाये, तब भी उक्त स्थिति में उपरोक्त अधिसूचना अनुसार, वह इस स्थिति में प्रतिमाह 8,435/–रुपये या 7,057/–रुपये प्रतिमाह की दर से 1,01,220/–रुपये या 84,684/–रुपये प्रतिवर्ष होती है, जिसे अनावेदक आसानी अर्जित कर लेता होगा। प्रकरण में साक्ष्य के दौरान आवेदिका द्वारा अनावेदक के कारीगर होकर मकान बनाने का काम करना बताया है। उपरोक्त अवलोकन एवं अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह प्रकट होता है कि अनावेदक पर्याप्त साधन वाला होकर सम्पन्न व्यक्ति है एवं आवेदकगण का भरण–पोषण करने हेतु समक्ष है। उपरोक्त अवलोकन के आधार पर यह भी प्रमाणित होता है कि आवेदिका अनावेदक से भरण–पोषण की राशि प्राप्त करने की अधिकारी है।

10– अतः प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका श्रीमती श्रीमती ममता की ओर से पेश किया गया आवेदन पत्र अंतर्गत

धारा–125 द0प्र0सं0 का आंशिकरूप से स्वीकार कर अनावेदक छोटू जाटव को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत रजनेश बनाम नेहा एव अन्य (2021) 2 एस0सी0सी0 324 के आलोक में, आवेदन प्रस्तुति दिनांक 01.11.2022 से आवेदकगण को भरण–पोषण के रूप में आवेदिका श्रीमती ममता जाटव को 1,500/–रुपये एवं पुत्री काजल को 1,000/–रुपये (विवाह होने तक) एवं पुत्र नीरज, कारू को 1,000–1,000/–रुपये (बालिक होने तक), कुल 4,500/– रुपये प्रतिमाह अदा करेगा। आवेदिका द्वारा उपरोक्त सभी आवेदकगण को अपने साथ निवास करना बताते हुए सरपरस्त स्वयं को होना व्यक्त किया है, जिस कारण उक्त राशि आवेदिका प्राप्त करने की अधिकारणीय होगी।

11– आवेदकगण यदि किसी अन्य प्रकरण में पारित आदेश के माध्यम से भरण–पोषण राशि प्राप्त कर रही होगी तो उसमें उक्त मासिक राशि का समायोजन होगा।

12– आदेश की एक प्रति आवेदकगण को निःशुल्क प्रदान की जावे।

13– उक्त राशि अनावेदक, आवेदिका को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अदा करेगा।

आदेश खुले न्यायालय में पारित कर,
दिनांकित व हस्ताक्षरित किया गया।

AVINASH CHHARI
Digitally signed by AVINASH CHHARI
Date: 2023.08.31 17:09:14 +05'30'

(अविनाश छारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
पोहरी, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

मेरे निर्देशन पर टंकित
किया गया।

(अविनाश छारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
पोहरी, जिला शिवपुरी (म.प्र.)